शोध मंथन Vol. XIV No.II Apr.-June 2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.870 (SJIF)

# महिला–विवाह आयु में अभिवृद्धि और महिला सशक्तिकरण

प्राप्तिः 01.05.2023
स्वीकृतः 20.06.2023

**डॉ० (श्रीमती) अखिलेश**
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
जी०एस०एच० (पी०जी०) कालेज,चान्दपुर (बिजनौर)
ईमेलः *akhileshchauhan6699@gmail.com*

26

**सारांश**

समाज में लैंगिक समानता स्थापन, संवैधानिक मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद–14, 15 और 21 के उल्लंघन को रोकने के तथा सामाजिक विकास एवं प्रगति की दृश्टि से 'महिला सशक्तिकरण' विगत दशक से एक प्रभावी एवं अनिवार्य मुद्दा बना हुआ है। केन्द्र व राज्य सरकारें उस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए सामान्यजन को भी योजनाओं के माध्यम से अभिप्रेरित कर रही हैं। परिणामस्वरूप सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। गत वर्ष दिसम्बर–2021 में भी केन्द्र सरकार ने लड़कियों के विवाह की आयु में बढ़ोत्तरी (18 वर्ष से 21 वर्ष) करने रूपी अपने निर्णय से इस दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाया है जिसका अंशात्मक विरोध भी सामने आया। शोध पत्र में केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय पर स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों से उनके विचार जानने का प्रयास किया। प्रस्तुत लेख एक आनुभविक अध्ययन के साथ प्राथमिक तथ्यों पर आधारित विश्लेषणात्मक स्वरूप है, जो यह स्पष्ट करता है कि केन्द्र सरकार द्वारा लड़कियों के लिए विवाह की आयु में की जा रही बढ़ोत्तरी से सामाजिक लैंगिक समानता एवं देशहित में सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होंगे। ऐसा मेरा भी मानना है।

**मुख्य बिन्दु**

भौतिक सम्मिलन, औचित्यता, निरर्थकता, उपयुक्तता, अभिवृद्धि, सृजनात्मक व्यक्तित्व, सामाजिक गतिकी, भावनात्मक बहाव।

## प्रस्तावना

''सृश्टि की संतति'' हेतु स्त्री–पुरुश का भौतिक सम्मिलन और जैवकीय अंड निशेचन अनिवार्य है। समाज, विवाह संस्था के माध्यम से इसे सामाजिक सहमति एवं मान्यता प्रदान करता है। अन्य सामाजिक संस्थाओं की भांति विवाह संस्था एवं इससे सम्बद्ध मान्यताएं अनेक मतान्तरों के आरोहों–अवरोहों से गुजरते हुए निरन्तर परिवर्तित होती रही हैं। केन्द्र सरकार द्वारा 15 दिसम्बर–2021 को लड़कियों की विवाह की उम्र में बढ़ोत्तरी रूपी फैसला ''लैंगिक असमानता'' परिवर्तन का प्रतीत है। इस फैसले के द्वारा लड़कियों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष का आदेश जारी किया है जिसका विधिक स्थापन किया जाना शेश है।

भारतीय सांस्कृतिक विविधताओं एवं जैवकीय रूप से संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक मानव शरीर की क्षमताओं को दृष्टिगत रखते हुए ''हरबिलास शारदा'' ने 1929 में ''बाल–विवाह'' रोकथाम हेतु

प्रथम प्रयास किया, जो आगे चलकर ''बाल–विवाह निरोधक अधिनियम'' बना। इस कानून के जरिये विवाह के लिए लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष नियत की गयी जिसे सन् 1978 में संशोधित कर क्रमशः 18 व 21 वर्ष कर दिया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से समाज में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की प्राथमिकताओं को मद्देनजर लड़कियों के लिए विवाह की आयु में बदलाव की विधिक आवश्यकता नजर आने लगी है। केन्द्र सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुए 15 दिसम्बर 2021 को ''सामाजिक लैंगिक समानता'' का भाव प्रकट करते हुए लड़के और लड़की दोनों के लिए विवाह के लिए समान उम्र 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है जिसे कुछ सम्प्रदाय के बुद्धिजीवी एवं धर्मगुरू स्वीकार और अस्वीकार करने की पहल करते दिखायी दिये। लेकिन यह बात सत्य है कि यदि उक्त प्रस्ताव कानूनी रूप ले लेता है तो निश्चित तौर पर ''हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955'' और ''विशेश विवाह अधिनियम 1954'' में संशोधन के साथ–साथ ''भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम–1972'', ''मुस्लिम पर्सनल कानून (शरियत) 1937'', ''विदेशी विवाह अधिनियम, 1969'' आदि में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी, इसलिए इस मुद्दे पर सवालिया निशान उठने लगे हैं।

एक शिक्षक के होने के नाते मेरे मन में भी इसकी औचित्यता, उपयुक्तता एवं निरर्थकता रूपी प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। विवाह आयु में बढ़ोत्तरी की औचित्यता, उपयुक्तता एवं निरर्थकता की तथ्यात्मक परख के लिए मैंने अपने महाविद्यालय में एम0ए0 की कक्षाओं में प्रवेशित छात्र और छात्राओं को वैयक्तिक अध्ययन (Case Study) के रूप में चयनित किया है। विशयगत आवश्यकतानुसार संरचित अनुसूची की सहायता से प्राथमिक तथ्य संकलित किये गये हैं। संकलित तथ्यात्मक अभिमतों को सांख्यिकीय विधियों से वर्गीकृत एवं सारणीयन कर निर्भर योग्य निश्कर्श निरुपित किये गये हैं। यह लेख अन्वेशणात्मक एवं विवरणात्मक शोध प्ररचना का अनुगमन करता है। सम्पूर्ण लेख आनुभविक अध्ययन (Case Study) स्वरूप है।

## उद्देश्य

प्रस्तुत लेख का प्रधान उद्देश्य स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं से महिला विवाह के लिए आयु में बढ़ोत्तरी किये जाने के मुद्दे पर उनकी मनोदशा का अध्ययन करना है।

## शोध प्रश्न

क्या सामाजिक 'लैंगिक समानता स्थापन, अतिशय जनसंख्या वृद्धि रोकने, शारीरिक सौष्ठव तथा सामाजिक विकास की लड़कियों के लिए वैवाहिक आयु 21 वर्ष किया जाना श्रेयष्कर है?

## उपकल्पना

महिला सशक्तिकरण की दृश्टि से लड़कियों के विवाह की आयु में बढ़ोत्तरी को छात्र/छात्राएं उचित मानते हैं?

**सारणी–1.1 चयनित सूचनादाताओं का वर्गीकृत स्वरूप**

| आधार (चर) Variables | छात्राएं | | छात्र | | कुल योग | | कुल योग 160 का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | |
| 1. प्रवेशित छात्र–छात्राएं | 122 | 76.25 | 38 | 23.75 | 160 | 100.00 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. धार्मिक स्थिति** | | | | | | | |
| (i) हिन्दू | 46 | 63.01 | 27 | 36.98 | 73 | 100.00 | 45.63 |
| (ii) मुस्लिम | 64 | 85.33 | 11 | 14.67 | 75 | 100.00 | 46.87 |
| (iii) सिख | 12 | 100.00 | – | – | 12 | 100.00 | 7.50 |
| **3. जातिगत स्थिति** | | | | | | | |
| (i) सवर्ण वर्ण | 7 | 70.00 | 3 | 30.00 | 10 | 100.00 | 6.25 |
| (ii) पिछड़ा वर्ग | 64 | 76.19 | 20 | 23.81 | 84 | 100.00 | 52.50 |
| (iii) अनुसूचित जाति वर्ग | 51 | 77.27 | 15 | 22.73 | 66 | 100.00 | 41.25 |
| **4. निवासीय स्थिति** | | | | | | | |
| (i) ग्रामीण | 88 | 76.52 | 27 | 23.48 | 115 | 100.00 | 71.88 |
| (ii) नगरीय | 34 | 75.56 | 11 | 24.44 | 45 | 100.00 | 28.12 |
| **5. पारिवारिक स्वरूप** | | | | | | | |
| (i) नाभिकीय (एकल परिवार) | 45 | 66.18 | 23 | 33.81 | 68 | 100.00 | 42.50 |
| (ii) संयुक्त परिवार | 77 | 83.70 | 15 | 16.30 | 92 | 100.00 | 57.50 |

स्त्रोतः सम्बन्धित महाविद्यालय की स्नातकोत्तर प्रवेश पंजिका–2021–22

## उपलब्धियां

**अध्ययनोपरान्त उपलब्धियां इस प्रकार रहीं–**

1. **आयुवृद्धि का औचित्य–** सभी जाति धर्म एवं समुदायों के लड़के एवं लड़कियों के विवाह के लिए एक समान विवाह की आयु का मुद्दा भारतीय संविधान के अनुच्छेद–44 (समान नागरिक संहिता) का एक हिस्सा है। इस सम्बन्ध में कई मामले भारतीय न्यायपालिका के समक्ष समय–समय पर आते रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कई प्रान्तों की उक्त सम्बन्ध में याचिकाओं को अपने अधीन कर केन्द्र सरकार से उक्त विषयों (सुरक्षित लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा आदि) पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया, जिसमें यह उल्लेख था कि विवाह के लिए अलग–अलग उम्र भारतीय संविधान मे ंनिहित मौलिक अधि ाकारों के अनुच्छेद–14, 15 और 21 का उल्लंघन है और यह महिलाओं के प्रति बदलती भारतीय प्रतिबद्धता एवं संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्ष–1979 में वर्णित प्रस्ताव के खिलाफ भी है। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में केन्द्र सरकार द्वारा ''जया जेटली'' की अध्यक्षता में गठित समिति 2020 के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए लड़कियों की विवाह की उम्र को लड़कों के समान 21 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। इसी निर्णय पर सूचनादाताओं से अभिमत जानने का प्रयास किया गया। प्रत्युत्तर स्वरूप प्राप्त अभिमतों को सारणी–1.2 में दर्शाया गया है–

**सारणी–1.2 विवाह के लिए आयु 21 वर्ष किये जाने के प्रति अभिमत**

| क्या लड़कियों के लिए विवाह की उम्र में बढ़ोत्तरी उचित है? | छात्राएं | | छात्र | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| हाँ | 105 | 86.06 | 31 | 81.58 | 136 | 85.00 |
| अभिमत का % | 77.21 | – | 22.79 | – | 100.00 | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नहीं | 12 | 9.84 | 06 | 15.79 | 18 | 11.25 |
| अभिमत का % | 66.67 | – | 33.33 | – | 100.00 | – |
| पता नहीं | 05 | 4.10 | 01 | 2.63 | 06 | 3.75 |
| अभिमत का % | 83.33 | – | 16.67 | – | 100.00 | – |
| **कुल योग** | 122 | 100.00 | 38 | 100.00 | 160 | 100.00 |

सारणी–1.2 से स्पष्ट है कि कुल सूचनादाताओं का 85 प्रतिशत का मानना है कि केन्द्र सरकार द्वारा लड़कियों के विवाह उम्र में की जा रही बढ़ोत्तरी उचित है। सहमति प्रकट करने वाले 136 सूचनादाताओं में 77.25 प्रतिशत छात्राओं का तथा 22.79 प्रतिशत छात्रों का रहा। इसी प्रकार असहमति प्रकट करने वाले सूचनादाताओं का प्रतिशत 11.25 रहा। 3.75 प्रतिशत ने कोई अभिमत प्रकट नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश सूचनादाता केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय को समाज हित में उचित मानते हैं।

**जनसंख्या–वृद्धि दर में कमी संभव**

यह तथ्य स्वीकार योग्य है कि शीघ्र विवाह से संतानोत्पत्ति की दर अधिक रहती है जिसका परिणाम प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं सामुदायिक स्तर पर देख सकते हैं। यद्यपि संतानोत्पत्ति रोकने के अनेक नैसर्गिक एवं चिकित्सीय साधन व्यवहार में हैं फिर भी भारतीय जनसंख्या निरन्तर अतिशय रूप में बढ़ती जा रही है। तो क्या लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने में सहायक सिद्ध होगी? इस प्रश्न पर सूचनादाताओं से प्राप्त प्रत्युत्तर को सारणी–1.3 में अवलोकित किया जा सकता है–

**सारणी–1.3 जनसंख्या वृद्धि दर और विवाह हेतु आयु अभिवृद्धि में सम्बन्ध के प्रति अभिमत**

| क्या लड़कियों के विवाह की उम्र में बढ़ोत्तरी से संतोनोत्पत्ति दर कम हो सकेगी? | छात्राएं | | छात्र | | कुल योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| सहमत | 105 | 86.07 | 30 | 78.95 | 135 | 84.37 |
| अभिमत का % | 77.78 | – | 22.22 | – | 100.00 | – |
| असहमत | 14 | 11.47 | 06 | 15.79 | 20 | 12.50 |
| अभिमत का % | 70.00 | – | 30.00 | – | 100.00 | – |
| पता नहीं | 03 | 2.46 | 02 | 5.26 | 05 | 3.13 |
| अभिमत का % | 60.00 | – | 40.00 | – | 100.00 | – |
| **कुल योग %** | 122 | 100.00 | 38 | 100.00 | 160 | 100.00 |

उक्त सारणी के विष्लेशणात्मक प्रारुप से स्पष्ट है कि कुल सूचनादात (160) का 84.37 प्रतिशत यह स्वीकार करता है कि लड़कियों के विवाह की उम्र में बढ़ोत्तरी से संतानोत्पत्ति की दर में कमी आना संभव है। इन अभिमत के पक्ष में 77.78 प्रतिशत छात्राएं तथा 22.22 प्रतिशत छात्र रहे। जबकि 12.50 प्रतिशत सूचनादाता असहमत तथा 3.73 प्रतिशत निरुत्तर रहे। अतः स्पष्ट होता है कि अधिकांश सूचनादाता यह मानते हैं कि लड़कियों के लिए विवाह की उम्र में बढ़ोत्तरी से संतानोत्पत्ति की दर में कमी संभव है जिसका प्रत्यक्ष लाभ देश की जनसंख्यात्मक एवं आर्थिक समस्याओं के निराकरण में अवश्य प्राप्त हो सकता है।

## शारीरिक सक्षमता एवं दृढ़ता दृष्टि से उचित

यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार भारत में ''बाल वधुओं'' की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ 15 से 19 वर्ष की आयु की लगभग 16 प्रतिशत लड़कियां विवाहित हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि ''बाल विवाह'' बचपन तो खत्म करता ही है साथ ही बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास एवं संरक्षण पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह लड़कियों, उनके परिवार और समुदाय को प्रभावित करता है। कोरोना काल में विवाह संस्था प्रभावित हुई है।

जैवकीय दृश्टि से माना गया है कि 18 वृर्ष की आयु पश्चात मानव शरीर नैसर्गिक क्रियाओं के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसमें 'भावनात्मक बहाव' (Emotional Flow) की अधिकता महसूस की गयी है। बढ़ती उम्र के साथ 'भावनात्मक बहाव' कमजोर पड़ता जाता है और शारीरिक सक्षमता एवं दष्ढ़ता बढ़ती जाती है। इस दृश्टि से लड़कियों के लिए विवाह की आयु में बढ़ोत्तरी यथोचित प्रतीत होती है। इन्हीं बिन्दुओं पर प्राप्त सूचनादाता अभिमत को सारणी–1.4 में दर्शाया गया है–

**सारणी–1.4 विवाह की आयु वषद्धि और शारीरिक सक्षमता व दष्ढ़ता के प्रति अभिमत**

| क्या लड़कियों के विवाह के लिए आयु में बढ़ोत्तरी से उनकी शारीरिक सक्षमता व व दृढ़ता वृद्धि संभव है? | छात्राएं | | छात्र | | कुल योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| सहमत | 78 | 63.93 | 26 | 68.42 | 104 | 65.00 |
| अभिमत का % | 75.00 | – | 25.00 | – | 100.00 | |
| असहमत | 29 | 23.77 | 09 | 23.68 | 38 | 23.75 |
| अभिमत का % | 76.32 | – | 23.68 | – | 100.00 | |
| पता नहीं | 15 | 12.30 | 03 | 7.90 | 18 | 12.25 |
| अभिमत का % | 83.33 | – | 16.67 | – | 100.00 | |
| **कुल योग %** | 122 | 100.00 | 38 | 100.00 | 160 | 100.00 |

उपर्युक्त समंक विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रश्नगत बिन्दु पर कुल सूचनादाताओं के 65 प्रतिशत का मानना है कि लड़कियों के विवाह की उम्र में बढ़ोत्तरी (21 वर्ष) किया जाने से महिला संवर्ग की शारीरिक क्षमता व दृढ़ता में सुधार संभव है। यद्यपि इसका कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। फिर भी इसमें सकारात्मक पक्ष निहित है। 23.75 प्रतिशत ने कहा कि इस वृद्धि से शारीरिक सक्षमता एवं दृढ़ता में सुधार संभव हो इसकी कोई गारंटी एवं निश्चितता नहीं है। 12.25 प्रतिशत संदर्भित प्रश्न पर निरुत्तर रहे। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि आयु वृद्धि से शारीरिक सक्षमता एवं दृढ़ता में सकारात्मक परिणाम संभव है।

## सामाजिक विकास दृश्टि से उचित

अपेक्षित दिशा (Desired direction) में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक विकास कहा जा सकता है। यह 'नियोजित परिवर्तन' (Planned Change) का स्वरूप होता है। लड़कियों के विवाह की उम्र में बढ़ोत्तरी का यह फैसला सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में एक आदर्शवादी कदम कहा जा सकता है। यह एक प्रकार से सामाजिक विकास का मनोवैज्ञानिक उपागम (Pshychological Approach of

Social Development) भी है जिसके अन्तर्गत ''सृजनात्मक व्यक्तित्व'' (Creative Personality) का विकास करने का प्रयास किया गया है। समाजशास्त्र में श्री हेगेन के (On the Theory of Economic Growth), में डेनियल लर्नर के (The Passing of Tradition Society) में एवं डेविड मैक्लीलैण्ड के (Achievement Oriented Personality) में व्यक्त विचार भी इस संदर्भ में प्रासंगिक हैं। इन्होंने विषेश गुणों वाले व्यक्तियों तथा विकास के मध्य सम्बन्धों का उल्लेख किया है। इनका मानना है कि उचित व्यक्तित्व ही विकास को सही दिशा प्रदान कर सकता है। जिसमें आयु विषेश भूमिका निर्वहन करती है।

इसलिए कहा जा सकता है कि लड़कियों के विवाह की आयु में बढ़ोत्तरी रूपी सरकारी फैसले से स्नातक या उससे उच्चस्तर की शिक्षा प्राप्ति के प्रतिशत में वषद्धि होगी। परिणामस्वरूप 'सामाजिक गतिकी' (Social Dynamics) एवं 'अर्थ सहभागिता' (Economic Cooperation) में महिला श्रम बढ़ेगा। महिला संवर्ग में आत्मनिर्भरता एवं 'निर्णय–निर्माण' की मात्रा भी बढ़ेगी। इन्हीं प्रश्नों पर सूचनादाताओं से उनका अभिमत जानने का प्रयास किया गया, जिसका आंकिक प्रदर्शन सारणी–1.5 में किया गया है–

**सारणी–1.5 विवाह आयु में बढ़ोत्तरी और सामाजिक विकास में सम्बन्ध**

| क्या लड़कियों के विवाह के लिए आयु में वृद्धि से सामाजिक विकास में सकारात्मक बदलाव संभव है? | छात्राएं | | छात्र | | कुल योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| हो सकता है | 65 | 53.28 | 24 | 63.16 | 89 | 55.62 |
| अभिमत का % | 73.03 | – | 26.97 | – | 100.00 | |
| जरूरी नहीं | 41 | 33.61 | 11 | 28.95 | 52 | 32.50 |
| अभिमत का % | 78.85 | – | 21.15 | – | 100.00 | |
| पता नहीं | 16 | 13.11 | 03 | 7.89 | 19 | 11.88 |
| अभिमत का % | 84.21 | – | 15.79 | – | 100.00 | |
| **कुल योग %** | 122 | 100.00 | 38 | 100.00 | 160 | 100.00 |

सारणी–1.5 से स्पष्ट है कि सूचनादाताओं का 55.62 प्रतिशत का विचार है कि लड़कियों के विवाह की उम्र में बढ़ोत्तरी का प्रभाव सामाजिक विकास पर सकारात्मक पड़ेगा, जबकि 32.50 प्रतिशत का मानना है कि इससे सामाजिक विकास की स्थिति एवं दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनका कहना था कि सामाजिक विकास हेतु केवल लड़कियों की आयु में वृद्धि कोई प्रभावी कारक नहीं है। इसका अंशतः प्रभाव संभव है। अतः निष्कर्श रूप में कहा जा सकता है कि केन्द्र सरकार द्वारा लड़कियों की विवाह की उम्र में वृद्धि रूपी निर्णय सामाजिक विकास की दृश्टि से उचित प्रतीत होता है।

## निष्कर्ष

शोध पत्र शीर्षक से सम्बद्ध विभिन्न चरों पर प्राप्त सूचनादाता अभिमत के विष्लेशणात्मक स्वरूप से सार रूप में निष्कर्श निकलता है कि अधिकांश सूचनादाता केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय को समाज में लैंगिक समानता, स्थापन, संवैधानिक मौलिक अधिकारों की प्राप्ति जनसंख्या वृद्धि

को रोकने एवं महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से उचित मानते हैं। इससे शोध प्राकल्पना की पुष्टि होती है।

## संदर्भ

1. मुकर्जी., अग्रवाल. ''विकास एवं परिवर्तन का समाजशास्त्र'. एस0बी0पी0डी0 पब्लिकेशन्सः आगरा।
2. ऑगबर्न., निमकॉफ. (1959). ''ए हेण्डबुक ऑफ सोशियोलॉजी. राउटलेज एण्ड केगनपॉल लिमिः लंदन।
3. किंगले, डेविस. (1959). ''ह्यूमन सोसाइटी''. मैकमिलन एण्ड कम्पनीः न्यूयार्क।
4. प्लानिंग कमीशन. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया।
5. (2022). समसामयिक. ''घटना चक्र''. एलनगंज, चर्च लेन, प्रयागराज।
6. अल्टेकर, ए0एस0. (1962). ''दि पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन फ्रॉम प्री–हिस्टोरिक टाइम्स टू प्रजेन्ट डे''. मोतीलाल बनारसी दासः दिल्ली।
7. (2019). यूनिसेफ रिपोर्ट।